अनवान रणधीर कुमार बनाम अमीलाल
वाद मुकदमा नं. 55/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 55 /2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

रणधीर कुमार पुत्र श्री अमी लाल जाति कुम्हार आयु 36 वर्ष निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

.... वादी

बनाम

अमी लाल पुत्र श्री गोपी राम जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
कविता पुत्री श्री अमी लाल पत्नी श्री जगदेव जाति कुम्हार निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
मुक्ता पुत्री श्री अमी लाल पत्नी श्री राजेश जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा	वादी
अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	प्रतिवादी 1 ता 3
पैरोकार राज	प्रति.–4

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18.07.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी गांव 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है, वादी का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वादपत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्न है। वादी के पिता, प्रतिवादी सं. 1 अमी लाल के नाम से वाके चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 13/ 44 का मुरब्बा नम्बर 43 व 44 की कुल 1.727 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है तथा विरासतन प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई है। जो कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति तथा उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से काफी समय पूर्व उक्त भूमि का वादी के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारे के अनुसार वादी को चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 13/ 44 का मुरब्बा नम्बर 43 के किला [illegible] 0.152 हे0, 2/2 की 0.101 है0, किला नम्बर 10 में 0.1265 है0, 11 में 0.1265 है0, व 20 [illegible] कुल [illegible] हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 44 की 0.601 है0 नहरी कृषि भूमि कुल 1.2335 हैक्टेयर [illegible] है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा भी वादी से कहा हुआ है कि हम अपने हिस्सा का हकपरित्याग तुम्हारे पक्ष में कर देगी। उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादी अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर क[illegible] चला आ रहा है तथा मौका

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पर काश्त कर रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। इसी विश्वास पर वादी ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी पढा लिखा व अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी सभी सुविधाओं से वंचित रहता हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 से सहमति ब्यान करने के लिए कहा। पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.03.2025 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(1) यह कि पैतृक भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, में से वादी को घरू बंटवारानामा अनुसार चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 13/ 44 का मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1/2 की 0.152 है0, 2/2 की 0.101 है०, किला नम्बर 10 में 0.1265 है०, 11 में 0.1265 है0 व 20 में 0.1265 है०, कुल 0.6325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 44 की 0. 601 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 1.2335 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे ।

(2) यह कि डिक्री खाता विभाजन की जारी की जाकर भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जावे ।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 एवम् प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जरिए मुख्यारनामा आम श्रीमती बिमला पत्नी श्री अमीलाल के राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से उक्त प्रकरण को राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:–

1. यह कि वादी रणधीर कुमार पुत्र श्री अमी लाल जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को वाके चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 13/44 का मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1/2 की 0.152 है0, 2/2 की 0.101 है0, किला नम्बर 10 में 0.1265 है0, 11 में 0.1265 है0, व 20 में 0.1265 है0, कुल 0.6325 हैक्टेयर नहरी कृशि भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 44 की 0.601 है0 नहरी कृषि भूमि, कुल 1.2335 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी के नाम से दर्ज करवाया जावे। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है। ताकि सनद रहें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजनामा होने [illegible] का कोई विवाद नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

साक्ष्य वादी में वादी रणधीर पुत्र श्री अमीलाल जाति कुम्हार [illegible] 7 [illegible] तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा जमाबंदी [illegible] पटवार हल्का 4 एमएल भू.अ.नि. श्रीगंगानगर खाता संख्या 13/44 प्रदर्श–1, चक 7 ई छोटी पटवार हल्का 4 एमएल भू.अ.नि. श्रीगंगानगर खाता संख्या 13/44 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2069–2072 चक 7 ई [illegible] पटवार हलका 4 एमएल भू.

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अ.नि.श्रीगंगानगर खाता संख्या 41/36 प्रदर्श–3, फोटो प्रति दस्तावेज मुख्तयारनामा आम प्रदर्श–4ए प्रदर्शित करवाये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 7 ई छोटी पटवार हल्का 4 एमएल भू.अ.नि. श्रीगंगानगर खाता संख्या 13/44 प्रदर्श–1, चक 7 ई छोटी पटवार हल्का 4 एमएल भू.अ.नि. श्रीगंगानगर खाता संख्या 13/44 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2069–2072 चक 7 ई छोटी पटवार हलका 4 एमएल भू.अ.नि.श्रीगंगानगर खाता संख्या 41/36 प्रदर्श–3, फोटो प्रति दस्तावेज मुख्तयारनामा आम प्रदर्श–4ए पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 ;एससीद्ध 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी ;बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 13/44 का मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1/2 की 0.152 है0, 2/2 की 0.101 है0, किला नम्बर 10 में 0.1265 है0 पश्चिमी हिस्सा, 11 में 0.1265 है0 पश्चिमी हिस्सा, व 20 में 0.1265 है0 पश्चिमी हिस्सा, कुल 0.6325 हैक्टेयर नहरी कृशि भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 44 की 0.601 है0 नहरी कृषि भूमि, कुल 1.2335 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी रणधीर कुमार पुत्र श्री अमी लाल जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिकी पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक [illegible] को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:28 IST
Reason: SelfAttested

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner